न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
27/2025	13.06.2025	28.11.2025

सैयाराम पुत्र स्व. नारायण लाल, माली निवासी कैमरी वालों की ढाणी, नौगांव तह0 तलावडा
———प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तलावडा
2. ग्राम पंचायत नौगांव जरिए सरपंच
3. रामधन पुत्र स्व0 नारायण लाल, माली निवासी कैमरी वालों की ढाणी, नौगांव तह0 तलावडा
4. बाबूलाल पुत्र घीस्या, माली निवासी कैमरी वालों की ढाणी, नौगांव तह0 तलावडा

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3,4 एक ही परिवार से सम्बन्ध रखते है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि आपस मे सटवां है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि ख0न0 1672 की पैमायश कर पूर्व दिशा की ओर कच्ची मिट्टी की डोल डाली हुई है, जिसे नष्ट कर अप्रार्थीगण ने ट्रेक्टर चला कर अपने खेतो में मिलाने की कई बार चेष्टा कर चुके है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1672 रकबा 0.31 है0 ग्राम भोलू का गांव की पत्थरगढी करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 69 ग्राम भोलू का गांव, फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.6.2022 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 69 ग्राम भोलू का गांव के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि मौके पर कोई विवाद नहीं हो तो वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 1672 रकबा 0.31 है0 ग्राम भोलू का गांव, तह0 तलावडा की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:24 IST
Reason: SelfAttested